न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 017/2019 (GCMS 2019/00073)	दायर दिनांक 14.08.2019	निर्णय दिनांक 17.02.2021

अनवान

माधवलाल पिता रूपलाल जाति जटिया उम्र बालिग निवासी बॉण्ड उर्फ बुल तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ मो0 800365820

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट

–:: प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय श्री तहसीलदार साहब भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ मु0 नं0 001/2019 फै0ता0 04.07.2019 अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 ::–

उपस्थिति :– श्री राजेन्द्र राजौरा — अधिवक्ता अपीलांट
श्री भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील विरूद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम बुल तहसील भूपालसागर कि नवीन आराजी नंबर 1190 रकबा 0.02 हैक्टर पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बताकर धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विधिवत प्रोपर नोटिस तामिल कराये बिना एक तरफा कार्यवाही कर अपीलांट को तारीख 04.07.2019 को विवादित आराजी से बेदखली एवं पेनल्टी का पारित कर दिया जिससे दुखित होकर यह अपील प्रस्तुत कि गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश न्याय नियमो के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली, पेनल्टी का आदेश करने से पूर्व अपीलांट को मिसल नम्बर 46/2019 का नोटिस जारी कर पेशी तारीख 11.07.2019 को उपस्थित होने हेतु जारी किया वह नोटिस तारीख पेश निकलने के बाद रेस्पोडेन्ट के अधीन राजस्व कर्मचारियो द्वारा तारीख 21.07.2019 को लाकर नोटिस दिया जिस पर अपीलांट तारीख 22.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब लेकर गया व पेश करने लगा तो तहसीलदार साहब ने बताया कि इस पत्रावली का निस्तारण तारीख 04.07.2019 को हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है, इस निर्णय की नकल तारीख 06.08.2019 को प्राप्त करने पर पता चला कि यह निर्णय मिसल नम्बर 1/2019 के तहत दिनांक 04.07.2019 को अपीलांट कि अनुपस्थित दर्ज कर पारित किया गया है जबकि अपीलांट को मिसल नम्बर 1/2019 का कोई नोटिस अपीलांट पर तामिल नहीं हुआ तथा अपीलांट को इस गलती का पता चलने पर अपीलांट ने तहसीलदार साहब को बताया तो उन्होने आनन–फानन मे मुझ अपीलांट को जारी मिसल नम्बर 46/2019 के नोटिस पर 21.07.2019 को काट कर तारीख 01.07.2019 अंकित कर दिया जबकि नोटिस जारी होने कि दिनांक 04.07.2019 अंकित रह गई जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जी ने कानुनी प्रावधानो कि पालना नही कि और बेंदखली एवं पेनल्टी का आदेश करने मे भारी कानुनी भुल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली आदेश दिनांक 04.07.2019 मे नवीन आराजी नंबर 1190 रकबा 0.02 हैक्टर, चारागाह सरकारी भूमि पर अपीलांट का विधि विपरित तरीके से एवं सुनवाई, साक्ष्य सबुत का मौका दिये बिना एवं मौके कि एवं रेकार्ड कि सही जॉच किये बिना गलत आदेश पारित कर दिया। जबकि विवादित आराजी का रकबा हल्के आबादी के मध्य आबादी की भूमि पर स्थित है जिस बारे में ग्राम पंचायत बुल तहसील भूपालसागर द्वारा अपीलांट के पिता स्व. रुपलाल पिता गोपीलाल चमार के नाम पर मिसल संख्या 2 सन 81,82 पट्टा कमांक 2061 के जरिये दिनांक 07.11.1981 से पट्टा जारी कर रखा है तथा पटटे शुदा भूखण्ड के पडौस पूर्व – निर्भय सिंह का मकान, पश्चिम – भोपाल सिंह का भुखण्ड, उत्तर – भूपालसागर से रोलिया राडक, दक्षिण – सरकारी पडत भूमि है। जिसकी साईज 45 बाई 30 वर्गफीट है, जिस पर पट्टा मिलने के बाद अपीलांट के पिता रुपलाल ने भूखण्ड के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल बनाकर कच्चा मकान बना रखा था, लेकिन अपीलांट के पिता कि मृत्यु होने के बाद परिवार कि आर्थिक स्थित ठीक नही होने से रिपेयरिंग नही करा पाये जिस कारण 18.06.2019 को भारी बारीश होने से कच्चा मकान क्षति ग्रस्त होकर गिर गया, जिसे पुनः निर्माण करने हेतु अपीलांट की माता केसी बाई ने निर्माण चालु किया तो अपीलांट से रंजिश रखने वाले कुछ लोगों ने तहसीलदार साहब को शिकायत कर दी, जिस पर तहसीलदार साहब राजनैतिक प्रभाव मे आकर अपीलांट कि माता द्वारा किये जाने वाले निर्माण को रुकवाने पर उतारु हुए और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकार्ड कि सही जांच किये बिना जबरन निर्माण रुकवाने पर एवं बेदखली करने पर उतारु हुए जिस पर अपीलांट कि माता ने तारीख 29.07.2019 को श्री सिविल न्यायालय कपासन के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र एवं मि.न. /19 सी.एम के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे तामिले होकर जवाब हेतु पेशी नियत है, जिससे भी मामला सबज्युडीश है, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। विवादित आराजी के बारे मे राजस्व रेकार्ड की स्थिति इस प्रकार है कि विवादित आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नवीन आराजी नंबर 1190 कुल रकबा 0.95 हैक्टर है, जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने आराजी नंबर 655/1 किस्म बिलानाम आबादी दर्ज तथा अपीलांट के पिता रुपलाल को हल्के आबादी में होने के कारण भी उक्त आराजी नंबर 1190 मे से रकबा 0.02 हैक्टर, पर ग्राम पंचायत बुल द्वारा मि.न. 2 के जरिये पटटा सं. 2061 दिनांक 07.11.1981 को जारी किया गया जिसके बाद अपीलांट के पिता कि मृत्यु होने पर अपीलांट कि माता केसी बाई का कब्जा होकर केसी बाई ने मकान बारिश में गिर जाने से निर्माण चालु किया जिससे अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नही किया, न निर्माण किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ अपीलांट के विरुद्ध बेदखली एंव पेनल्टी का आदेश जारी करने में भारी अवैधानिकता की है। अन्य उजर वक्त बहस अर्ज करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस दिनांक 11.07.2019 की पेशी का जारी किया जिसका नोटिस अपीलांट को दिनांक 21.07.2019 को लाकर तामिल कराया जिस पर अपीलांट जवाब लेकर 22.07.2019 को लेकर न्यायालय मे गया तो बताया गया कि प्रकरण का फैसला दिनांक 04.07.2019 को हो गया है जिस पर अपीलांट मे नकल निर्णय लेने हेतु वकील नियुक्त कर तारीख 29.07.2019 को आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय कि प्रति अपीलांट को तारीख 06.08.2019 को प्राप्त हुई है। जिस पर अपील करने के खर्चे कि व्यवस्था कर कानुनी राय लेकर यह अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मयाद पेश है, तथा डिले–कण्डोन हेतु अलग से दफा 5 कानुनी मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः में अपीलांट द्वारा प्रार्थना की गई कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2019 को खारिज फरमाया जावे एवं अन्य उचित दाद दिलाई जावे। अपील अपीलांट के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानुन मयाद अधिनियम के पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायाल द्वारा एक तरफा निर्णय दिया जिससे अपीलांट को समय पर जानकारी नहीं हो पाई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस दिनांक 11.07.2019 की पेशी का जारी किया जिसका नोटिस अपीलांट को दिनांक 21.07.2019 को लाकर तामिल कराया जिस पर अपीलांट जवाब लेकर 22.07.2019 को लेकर न्यायालय में गया तो बताया गया कि प्रकरण का फैसला दिनांक 04.07.2019 को हो गया है जिस पर अपीलांट मे नकल निर्णय लेने हेतू वकील नियुक्त कर तारीख 29.07.2019 को आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय कि प्रति अपीलांट को तारीख 06.08.2019 को प्राप्त हुई है। जिस पर अपील करने के खर्चे कि व्यवस्था कर कानुनी राय लेकर यह अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मयाद पेश है। जिससे अगर उक्त अवधि को डिले–कण्डोन नहीं किया गया तो अपीलांट का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलांट के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थना है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि आवेदन स्वीकार फरमा अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार भूपालसागर के पत्रांक/राजस्व/2019/235 दिनांक 24.09.2019 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 046/2019 निर्णय दिनांक 22.07.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 22.08.2019 अनवानी सरकार बनाम माधवलाल पिता रूपलाल जटिया निवासी बुल अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता हैं। दिनांक 04.02.2021 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया।

दिनांक 04.02.2019 को अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायाल द्वारा एक तरफा निर्णय दिया जिससे अपीलांट को समय पर जानकारी नहीं हो पाई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस दिनांक 11.07.2019 की पेशी का जारी किया जिसका नोटिस अपीलांट को दिनांक 21.07.2019 को लाकर तामिल कराया जिस पर अपीलांट जवाब लेकर 22.07.2019 को लेकर न्यायालय में गया तो बताया गया कि प्रकरण का फैसला दिनांक 04.07.2019 को हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय कि प्रति अपीलांट को तारीख 06.08.2019 को प्राप्त हुई है। जिस पर अपील करने के खर्चे कि व्यवस्था कर कानुनी राय लेकर यह अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मयाद पेश है। जिससे अगर उक्त अवधि को डिले–कण्डोन नहीं किया गया तो अपीलांट का अपील उद्‌देश्य व्यर्थ हो जायेगा। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं बावजूद जानकारी के अपीलांट/अप्रार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्‌देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलांट के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित से ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम बुल तहसील भूपालसागर कि नवीन आराजी नंबर 1190 रकबा 0.02 हैक्टर पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बताकर धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विधिवत प्रोपर नोटिस तामिल कराये बिना एक तरफा कार्यवाही कर अपीलांट को तारीख 04.07.2019 को विवादित आराजी से बेदखली एवं पेनल्टी का पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली, पेनल्टी का आदेश करने से पूर्व अपीलांट को मिसल नम्बर 46/2019 का नोटिस जारी कर पेशी तारीख 11.07.2019 को उपस्थित होने हेतु जारी किया वह नोटिस तारीख पेश निकलने के बाद रेस्पोडेन्ट के अधीन राजस्व कर्मचारियो द्वारा तारीख 21.07.2019 को लाकर नोटिस दिया जिस पर अपीलांट तारीख 22.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब लेकर गया व पेश करने लगा तो तहसीलदार साहब ने बताया कि इस पत्रावली का निस्तारण तारीख 04.07.2019 को हो गया हैं, इस निर्णय की नकल तारीख 06.08.2019 को प्राप्त करने पर पता चला कि यह निर्णय मिसल नम्बर 1/2019 के तहत दिनांक 04.07.2019 को अपीलांट कि अनुपस्थित दर्ज कर पारित किया गया हैं जबकि अपीलांट को मिसल नम्बर 1/2019 का कोई नोटिस अपीलांट पर तामिल नहीं हुआ। अपीलांट ने तहसीलदार साहब को बताया तो उन्होने आनन–फानन मे मुझ अपीलांट को जारी मिसल नम्बर 46/2019 के नोटिस पर 21.07.2019 को काट कर तारीख 01.07.2019 अंकित कर दिया जबकि नोटिस जारी होने कि दिनांक 04.07.2019 अंकित रह गई जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जी ने कानुनी प्रावधानो कि पालना नही कि और बेंदखली एवं पेनल्टी का आदेश करने मे भारी कानुनी भुल की हैं। विवादित आराजी का रकबा हल्के आबादी के मध्य आबादी की भूमि पर स्थित है जिस बारे में ग्राम पंचायत बुल तहसील भूपालसागर द्वारा अपीलांट के पिता स्व. रुपलाल पिता गोपीलाल चमार के नाम पर मिसल संख्या 2 सन 81,82 पटटा कमांक 2061 के जरिये दिनांक 07.11.1981 से पट्टा जारी कर रखा है तथा पटटे शुदा भूखण्ड के पडौस पूर्व – निर्भय सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का मकान, पश्चिम – भोपाल सिंह का भुखण्ड, उत्तर – भूपालसागर से रोलिया राडक, दक्षिण – सरकारी पडत भूमि है। जिसकी साईज 45 बाई 30 वर्गफीट है, जिस पर पट्टा मिलने के बाद अपीलांट के पिता रुपलाल ने भूखण्ड के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल बनाकर कच्चा मकान बना रखा था। दिनांक 18.06.2019 को भारी बारीश होने से कच्चा मकान क्षति ग्रस्त होकर गिर गया, जिसे पुनः निर्माण करने हेतु अपीलांट की माता केसी बाई ने निर्माण चालु किया तो अपीलांट से रंजिश रखने वाले कुछ लोगों ने तहसीलदार साहब को शिकायत कर दी, जिस पर तहसीलदार साहब राजनैतिक प्रभाव मे आकर अपीलांट कि माता द्वारा किये जाने वाले निर्माण को रूकवाने पर उतारु हुए और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकार्ड कि सही जांच किये बिना जबरन निर्माण रुकवाने पर एवं बेदखली करने पर उतारु हैं। अपीलांट कि माता ने तारीख 29.07.2019 को श्री सिविल न्यायालय कपासन के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र एवं मि.न. /19 सी.एम के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे तामिले होकर जवाब हेतु पेशी नियत है, जिससे भी मामला सबज्युडीश इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म चरागाह दर्ज अभिलिखति है एवं अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, भूपालसागर के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विवादित आराजी के बारे मे राजस्व रेकार्ड की स्थिति इस प्रकार है कि विवादित आराजी के नवीन आराजी नंबर 1190 कुल रकबा 0.95 हैक्टर है, जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने आराजी नंबर 655/1 किस्म बिलानाम आबादी दर्ज तथा अपीलांट के पिता रुपलाल को हल्के आबादी में होने के कारण भी उक्त आराजी नंबर 1190 मे से रकबा 0.02 हैक्टर, पर ग्राम पंचायत बुल द्वारा मि.न. 2 के जरिये पटटा सं. 2061 दिनांक 07.11.1981 को जारी किया गया जिसके बाद अपीलांट के पिता कि मृत्यु होने पर अपीलांट कि माता केसी बाई का कब्जा होकर केसी बाई ने मकान बारिश में गिर जाने से निर्माण चालु किया जिससे अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नही किया, न निर्माण किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एंव पेनल्टी का आदेश जारी करने में भारी अवैधानिकता की है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2006(1) RRT** पेज संख्या 272, **2009(2) RRT** पेज संख्या 1378 पेश किये। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का दृष्टिपात किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि

91 Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time-and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!Idar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार भूपालसागर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता हैं। वर्तमान में चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलांट का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित हैं तो अपीलांट इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जबकि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत बुल द्वारा अपीलांट के पिता के नाम पर पट्टा संख्या 2061 दिनांक 07.11. 1981 जारी किया गया हैं। इस संबंध में अपीलांट सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, हस्तगत अपील में इस तथ्य को देखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज रेकार्ड है एवं चरागाह पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 22.08.2019 का अवलोकन किया। अपीलांट/अप्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.07.2019 में प्रकरण संख्या 001/2019 दिनांक 04.07.2019 अंकित की गई है जबकि संशोधित निर्णय दिनांक में भी प्रकरण संख्या 046/2019 दिनांक 04.07.2019 अंकित की गई है, जो कि लिपिकीय भूल की श्रेणी की परिलक्षित होती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पांगी नहीं होते हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 22.08.2019 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक दिनांक 22.07.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 22.08.2019 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 017/2019 अनवानी माधवलाल बनाम सरकार अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 046/2019 निर्णय दिनांक 22.07.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 22.08.2019 अनवानी सरकार बनाम माधवलाल को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:03 IST
Reason: SelfAttested